

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

—:आदेश:—

क्रमांक <sup>321</sup> / स्था.सैट / 2024

जबलपुर, दिनांक 07.05.2024

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 237 / स्था.सैट / 2024 जबलपुर दिनांक 07.05.2024 द्वारा श्री आलोक गार्गव, शीघ्रलेखक, निवर्तमान सैट, खण्डपीठ इंदौर की पदोन्नति निज सहायक के पद पर मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर किये जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने में असफल होने के कारण उक्त पदोन्नति आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

Sd/-  
(दीपक बंसल)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक <sup>322</sup> / स्था0सैट / 2024

जबलपुर, दिनांक 07.05.2024

प्रतिलिपि :-

01. प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर।
02. रजिस्ट्रार (प्रशासन/न्यायिक-1 एवं 2/डी.ई./पी.पी.एस) उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर
03. रजिस्ट्रार आई.टी. (सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
04. कोषालय अधिकारी, जबलपुर/इंदौर
05. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उच्च न्यायालय म.प्र., (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर,
06. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
07. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्था0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
08. सहायक स्थापना/लेखाअनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, (सैट) जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर,
09. श्री आलोक गार्गव, शीघ्रलेखक उच्च न्यायालय म.प्र. (सैट) खण्डपीठ-इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

Sd/-  
(दीपक बंसल)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)